

फ़ाइल संख्या: B-17011/2/2025-SCH (ई-कंप्यूटर सं.: 50297)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5 वां तल, बी विंग, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 07.04.2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD),

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC),

ओखला फेज - I, तेहखंड गांव के पास, नई दिल्ली - 110020

**विषय: NFPwD के तहत SFMP पोर्टल पर आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) का कार्यान्वयन और आधार एवं UDID की अनिवार्य प्रस्तुति के संबंध में।**

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (SFMP) के माध्यम से 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप' (NFPwD) योजना के तहत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) के कार्यान्वयन और आधार एवं UDID को अनिवार्य रूप से जमा करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के प्रावधानों के अनुसार, NFPwD सहित सभी घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए UDID के साथ आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

2. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सार्वजनिक सूचना संख्या F.1-1/2026(SA-I)/C.No.174648 दिनांक 01.04.2026 (संलग्न) के माध्यम से फेलोशिप के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए आधार-आधारित भुगतान (ABP) प्रणाली के सार्वभौमिकरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसी के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि SFMP के माध्यम से NFPwD के तहत संवितरण (Disbursement) विशेष रूप से ABP प्रणाली का उपयोग करके आधार-सीडेड बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, SFMP पर आधार और UDID को जमा करना और उनका सत्यापन करना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है।

3. इस संबंध में, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) से अनुरोध है कि वह केनरा बैंक और SFMP टीम के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

Internal

- सभी लाभार्थी बैंक खातों को आधार से जोड़ना (Aadhaar seeding)।
  - SFMP पर आधार और UDID का अनिवार्य अपडेशन और सत्यापन।
  - सभी फेलोशिप संवितरण के लिए ABP का कार्यान्वयन।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन लाभार्थियों ने आधार और UDID अपडेट नहीं किया है, उनके लिए SFMP पर भुगतान जनरेशन (Payment generation) को अक्षम (Disable) कर दिया जाए और अनुपालन न करने की स्थिति में फेलोशिप भुगतान जारी न किया जाए।
5. उपरोक्त के आलोक में, NDFDC कृपया एक सार्वजनिक सूचना जारी करे ताकि सभी लाभार्थियों और नोडल अधिकारियों को 15.04.2026 तक SFMP पर आधार सीडिंग और UDID अपडेशन पूरा करने और नोडल अधिकारियों द्वारा 20.04.2026 तक सत्यापन पूरा करने की सलाह दी जा सके, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान समय पर संवितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, केनरा बैंक से अनुरोध किया जाए कि वह सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए SFMP पर एक विस्तृत आधार अपडेशन मैनुअल/SOP अपलोड करे।
6. इसे अत्यंत महत्वपूर्ण (Urgent) समझा जाए। यह अतिरिक्त सचिव (छात्रवृत्ति) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,  
  
(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी: sandeepkumar.rth@nic.in

**संलग्नक:** यथोपरि।

**सूचना हेतु प्रतिलिपि:**

1. अतिरिक्त सचिव (MKN) के प्रधान निजी सचिव।
2. निदेशक (PA) (छात्रवृत्ति) के निजी सचिव।
3. मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक।